प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

माननीय न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर

दांडिक अपील क्रमांक 928/2008

अपीलकर्ता: शिव प्रसाद

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

श्री ए.के. प्रसाद - अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता

श्री वैभव गोवर्धन - प्रत्यर्थी/राज्य के लिए अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील

निर्णय

(8.07.2011)

1. यह अपील माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ टी सी कोर्ट) सुरजपुर, जिला सरगुजा द्वारा 30.8.2008 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत है, जिसमें सत्र प्रकरण क्रमांक 127/2008 में अभियुक्त/अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 392/397 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था और उसे सश्रम कारावास की अवधि सात वर्ष के लिए भुगतान करने और रुपये 1000 का जुर्माना भरने के लिए दंडित किया गया था, जुर्माने के भुगतान में व्यक्तिक्रम की स्थिति में उसे आगे सश्रम कारावास की अवधि एक माह के लिए भुगतना होगा है।

2. मामले के तथ्य संक्षिप्त रूप में यह हैं कि 29.9.2007 को लगभग 4.30 बजे अपराह्न में शिकायतकर्ता अर्थात् परमेश्वर (अ.सा. 1) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 28.9.2007 को लगभग 8.00 बजे रात को वह अपने भाई की हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर भठगाँव शराब भट्टी जाकर शराब लेने गया था और शराब लेने के पश्चात् जब वह अपनी मोटरसाइकिल को चलाने के लिए तैयार था, तो अभियुक्त/अपीलकर्ता मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया और उससे तेलगाव पर उतारने के लिए कहा। यह आगे आरोपित है कि जैसे ही वे एक तालाब के पास पहुँचे, अभियुक्त/अपीलकर्ता ने चाकू को शिकायतकर्ता के गले पर लगाया, उसे मोटरसाइकिल रोकने के लिए बाध्य किया और फिर उसकी जेब से जबरदस्ती रुपये 450 निकाल लिए और उसके मोटरसाइकिल के साथ फरार हो गया। यह आरोपित है कि शिकायतकर्ता पैदल घर लौटा और उसने अपने पिता और भाई कमल कुमार को पूरी घटना के बारे में बताया और फिर इसी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया। अन्वेषण पूरी होने के पश्चात्, पुलिस द्वारा 24.10.2007 को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत अभियोगपत्र दाखिल किया गया। दांडिक मामला क्रमांक 580/2007 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुरजपुर द्वारा विचारण किया गया था और अभियुक्त/अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और तीन वर्ष के सश्रम कारावास और रुपये 1000 के जुर्माने के लिए दंडित किया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध जब अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ टी सी कोर्ट) सुरजपुर के समक्ष की गई, तो मजिस्ट्रेट के आदेश को, जिसमें अभियुक्त/अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था, को अपास्त कर दिया गया और मामले को कहे गए मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया गया, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि आगे की कार्यवाही की जाए क्योंकि प्रकटतः भारतीय दंड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संहिता की धारा 397 के अंतर्गत भी अपराध बनता है । अपीलीय न्यायालय के इस आदेश को अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 405/2008 द्वारा चुनौती दी गई थी, परंतु कहा गया पुनरीक्षण इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, और जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को फिर से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 392/397 के अंतर्गत अपराधों के लिए विचारण किया गया।

3. अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन ने अपने मामले का समर्थन करने के लिए 04 साक्षियों की परीक्षण किया है। अभियुक्त/अपीलकर्ता का भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इंकार किया और अपनी निर्दोषता का दावा किया और मामले में झूठे फँसाए जाने का अभिवाक किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षों को सुनने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलकर्ता को उपरोक्त निर्णय के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित के अनुसार दोषसिद्ध और दंडित किया है।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में लगभग 20 घंटे की अस्पष्ट देरी रही है, क्योंकि घटना 28.9.2007 को लगभग 8.00 बजे रात को हुई थी जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 29.9.2007 को लगभग 4.30 बजे अपराह्न में दर्ज हुई थी। अपीलकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, यद्यपि घटना की घटनास्थल से पुलिस स्टेशन की दूरी लगभग एक फर्लांग थी, परंतु रिपोर्ट तुरंत दर्ज नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता के मामले की डायरी में दिए गए बयान और उसके न्यायालय के बयान में तात्विक विसंगतियाँ हैं क्योंकि न्यायालय के बयान में शिकायतकर्ता पूरी तरह नई कहानी लेकर आया है। उन्होंने कहा है

कि अभियुक्त/अपीलकर्ता से भले ही कोई भी धनराशि जब्त नहीं की गई, हालाँकि उसे 30.9.2007 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि मोटरसाइकिल की जब्ती अभियोजन द्वारा साबित नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता से कोई चाकू जब्त नहीं किया गया है और चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में या शिकायतकर्ता के मौखिक बयान में हथियार का विवरण नहीं दिया गया है, इसलिए यह निश्चितता से नहीं कहा जा सकता कि अपराध करते समय अपीलकर्ता द्वारा किसी हथियार का उपयोग किया गया था, और इस तरह उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत अपराध साबित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं कहा है कि जब अभियुक्त/अपीलकर्ता उसे मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था तो वह व्यस्त इलाके से गुजरा था, परंतु उसने अभियुक्त/अपीलकर्ता के नियंत्रण से बाहर आने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने निवेदन किया है कि अपने कथन के अनुसार घटना के बाद शिकायतकर्ता पैदल घर लौटा था, जबकि उसके पिता करम सई (अ.सा. 4) के कथन के अनुसार शिकायतकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घर पहुँचाया गया। उन्होंने कहा है कि वास्तव में जैसा कि शिकायतकर्ता ने अभियुक्त/अपीलकर्ता को अपने वाहन से धकेल दिया था, दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था और जब उसने उसे पुलिस को रिपोर्ट करने की धमकी दी थी, तो खुद को बचाने के लिए शिकायतकर्ता ने पूरी तरह नई कहानी गढ़ी है, जिससे वह अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध झूठा आरोप लगा रहा है। अंत में, उन्होंने निवेदन किया है कि अपीलकर्ता 30.9.2007 से जेल में है, और इसलिए यदि दोषसिद्धि को अपास्त नहीं किया जाता है, तो कम से कम उसकी सजा को पहले से ही भुगती गई अवधि तक कम किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि शिकायतकर्ता के बयान में यदि कोई मामूली विसंगतियाँ और लोप हैं, तो उस समय की शिकायतकर्ता की आयु को ध्यान में रखते हुए उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। उन्होंने

निवेदन किया है कि एक नामित प्रथम सूचना रिपोर्ट शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई थी और अभियुक्त को झूठे मामले में फँसाने के लिए शिकायतकर्ता के कोई कारण नहीं थे।

7. शिकायतकर्ता (अ.सा. 1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना से एक साल पहले अपने ब्रदर-इन-लॉ द्वारा बुलाये जाने पर जाने पर, वह अपने भाई कमल की मोटरसाइकिल पर भठगाँव गया था और शराब और मुर्गा लेने के लिए। जब वह शराब भट्टी से शराब खरीद रहा था, तो अभियुक्त/अपीलकर्ता पहले से ही वहाँ मौजूद था और शराब पी रहा था। जब वह शराब भट्टी से शराब खरीदकर जाने वाला था, तो अभियुक्त/अपीलकर्ता उसके पास आया और उसकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया और अपने गले पर चाकू लगाकर उससे कहा कि उसे अपनी पसंद की जगह पर ले जाए। इसके बाद, अपीलकर्ता के निर्देशों पर, वह बाजार से मोटरसाइकिल लेकर गया और जब वे तिलसीवाँ पारा और तेलगाव के बीच की खाली जगह पर पहुँचे, तो अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसे मोटरसाइकिल रोकने के लिए कहा और उससे सभी धनराशि उसे देने के लिए कहा और मोटरसाइकिल की चाबी भी निकाल ली। उसके अनुसार, उस समय उसके पास रुपये 500 थे, जिसे अभियुक्त/अपीलकर्ता ने छीन लिए, और फिर उसे मोटरसाइकिल पर अपने पीछे बैठने के लिए कहा। पोखरी के पास पहुँचकर, उसे एक सबक सिखाएगा। उसके अनुसार वह गाँव तेलगाव में एक इमली के पेड़ के पास वह मोटरसाइकिल से कूद गया और अपनी आंटी के घर चला गया, जहाँ वह अपने चचेरे भाई (आंटी के बेटे) को पूरी घटना के बारे में बताया और अपने अनुरोध पर वह उसे घर छोड़ गया। घर पहुँचकर, उसने अपने पिता और भाई को घटना के बारे में बताया। इसके बाद, वह अपने पिता और भाई के साथ पुलिस स्टेशन में गया और रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज की। इसके बाद, पुलिस ने प्रदर्श पी-2 के तहत उसके भाई से अपनी मोटरसाइकिल के कागजात उसकी उपस्थिति में जब्त किए थे, परंतु पुलिस द्वारा घटनास्थल के नक्शे के बारे में उससे कभी पूछताछ नहीं की गई और न ही उसकी उपस्थिति में कोई घटनास्थल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का नक्शा तैयार किया गया था, और उसने प्रदर्श पी-3 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जो एक घटनास्थल का नक्शा है। प्रति-परीक्षा में, इस साक्षी ने कहा है कि उसने पुलिस को इस बारे में सूचित किया था कि उसके ब्रदर-इन-लॉ द्वारा भठगाँव जाकर शराब और मुर्गा लेने के लिए भेजा गया था, अभियुक्त/अपीलकर्ता के उसकी मोटरसाइकिल पर बैठने, अपने गले पर चाकू लगाकर उससे मोटरसाइकिल को अपनी पसंद की जगह पर ले जाने के लिए कहना, उसके द्वारा रुपये 500 को छीना जाना और फिर गाँव तेलगाव में अपनी आंटी के घर जाकर अपने चचेरे भाई (आंटी के बेटे) को घटना के बारे में सूचित करना, लेकिन यदि ये बातें मामले की डायरी के बयान प्रदर्श डी-1 में दर्ज नहीं हैं, तो वह इसके कारण नहीं बता सकता। इस साक्षी ने आगे कहा है कि उसने सबसे पहले अपनी आंटी के बेटे को घटना के बारे में बताया, परंतु उसे अपनी आंटी का नाम नहीं पता। उसने कहा है कि उसका घर घटनास्थल से लगभग 1 किमी की दूरी पर है। उसने कहा है कि जब वह अपने घर पहुँचा, तो उसकी बहन और ब्रदर-इन-लॉ भी वहाँ थे, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के अलावा उसने किसी को घटना के बारे में सूचित नहीं किया। उसने स्वीकार किया है कि जब उसने तिलसीवाँ पारा चौक पर मोटरसाइकिल से कूदा, जहाँ बहुत सारे घर हैं, और यह एक व्यस्त सड़क है, जहाँ बहुत सारे लोग घूमते हैं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि जब वह मोटरसाइकिल से कूदा तो उसने कोई चीख-पुकार नहीं मचाई। तुरंत बाद, उसने कहा है कि जैसा कि बारिश हो रही थी, इसलिए कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था, और इसलिए वह चीख-पुकार नहीं मचा सका। उसने आगे स्वीकार किया है कि शराब भट्टी के पश्चिम की ओर, पुलिस चौकी भठगाँव है और उस चौकी के बगल में भारतीय स्टेट बैंक और एस. ई . सी. एल. का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। उसने आगे स्वीकार किया है कि क्षेत्रीय अस्पताल और पुलिस चौकी के पास एस. ई . सी. एल. के कर्मचारियों के क्वार्टर स्थित हैं। उसने आगे स्वीकार किया है कि शराब भट्टी के करीब बहुत सारी मिट्टी की झोपड़ियाँ भी स्थित हैं, जिनमें से कुछ एस. ई . सी. एल. के कर्मचारियों द्वारा और कुछ अन्यों द्वारा कब्जा कर ली गई हैं। उसने स्वीकार किया है कि शराब भट्टी के पास रहते

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हुए अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसके गले पर चाकू लगा दिया था और यहाँ तक कि उसे मोटरसाइकिल पर ले जाते समय भी उसने कोई चीख-पुकार नहीं मचाई। उसने आगे स्वीकार किया है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पिछली विचारण में भी उसने अभियुक्त/अपीलकर्ता के पूरे कार्य, जैसे उसके गले पर चाकू लगाना, उसे मोटरसाइकिल को अपनी पसंद की जगह पर ले जाने के लिए कहना, धनराशि को छीना जाना और मोटरसाइकिल की चाबी को निकाला जाना आदि का खुलासा किया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पिछली विचारण में यह खुलासा किया था कि उसने अपनी आंटी के बेटे को घटना के बारे में सूचित किया था और उसने उसे घर पहुँचाने के लिए कहा था, लेकिन यदि यह उसके बयान में दर्ज नहीं है, तो वह इसके कारण नहीं बता सकता। उसने आगे कहा है कि उसके और उसके भाई के हस्ताक्षर पुलिस द्वारा बहुत सारे दस्तावेजों पर लिए गए थे और घटना की तारीख से पुलिस अधिकारियों ने उसे पुलिस स्टेशन में तीन दिनों के लिए रखा था, और केवल मोटरसाइकिल प्राप्त करने के बाद ही उसे रिहा किया गया था। इस साक्षी को यह सुझाव दिया गया था कि घटना की तारीख पर कोई दुर्घटना हुई थी, उसने इसे अस्वीकार किया । अपने साक्ष्य के कंडिका 18 में, इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके पास वाहन का लाइसेंस नहीं है, लेकिन उसने इससे इंकार किया है कि उसने झूठे तरीके से अभियुक्त को इस मामले में फँसाया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कमल प्रसाद (अ.सा. 2) - शिकायतकर्ता का भाई ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना की तारीख पर अपने ब्रदर-इन-लॉ द्वारा कहे जाने पर, शिकायतकर्ता शराब और मुर्गा लेने गया था और जब लगभग 3 घंटे बाद वह घर लौटा, तो उसे बताया कि अपीलकर्ता ने रुपये 500 के अलावा उसकी मोटरसाइकिल और मुर्गा को छीन लिया था। उसने आगे कहा है कि कैसे पूरी घटना शिकायतकर्ता द्वारा उसे बताई गई थी। इस साक्षी के अनुसार, रिपोर्ट उसी रात में शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई थी, उसका बयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, मोटरसाइकिल के कागजात जब्त किए गए थे, घटना के दो दिन बाद अपीलकर्ता को प्रदर्श पी-3 के तहत उसकी उपस्थिति में गिरफ्तार किया

गया था और मोटरसाइकिल को प्रदर्श पी-4 के तहत उसके कब्जे से जब्त किया गया था। जब इस साक्षी को उसके मामले की डायरी के बयान प्रदर्श डी-2 से सामना कराया गया, तो उसने कहा है कि न्यायालय में उसके द्वारा सभी तथ्य बताए गए थे और उन्हें पुलिस को भी बताया गया था, और यदि वह उसमे अनुपस्थित हैं, तो वह उसके लिए कारण नहीं बता सकता। इसी तरह, पिछली विचारण में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करते समय, उसने हर तथ्य का खुलासा किया था, लेकिन यदि वह दर्ज नहीं है, तो वह इसके लिए कारण नहीं बता सकता। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि शराब भट्टी के पश्चिम की ओर पुलिस चौकी, भारतीय स्टेट बैंक और अस्पताल हैं। उसके अनुसार, सड़क हमेशा व्यस्त रहती थी और शिकायतकर्ता ने उसे बताया था कि सबसे पहले वह अपने रिश्तेदारों के घर गया था। उसके अनुसार, उसी रात रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसे पुलिस द्वारा लिखा गया था, लेकिन दूसरे दिन शिकायतकर्ता को पुलिस स्टेशन में फिर से बुलाया गया था। उसने स्वीकार किया है कि घटना के बाद पहली बार उसने अपने वाहन को पुलिस स्टेशन में देखा था, और उसे यह नहीं पता था कि अपीलकर्ता के घर से जब्त किया गया था। हालाँकि, उसके हस्ताक्षर पुलिस द्वारा जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी-4 में लिए गए थे। उसने फिर से कहा है कि उसकी उपस्थिति में पुलिस ने मोटरसाइकिल को जब्त नहीं किया था, और फिर बाद में उसने कहा है कि मोटरसाइकिल को शिकायतकर्ता की उपस्थिति में (शिकायतकर्ता अर्थात् उसके भाई) जब्त किया गया था। कंडिका 9 में, इस साक्षी ने फिर से कहा है कि रिपोर्ट दर्ज करते समय रात में वह, शिकायतकर्ता, उसका पिता और ब्रदर-इन-लॉ पुलिस स्टेशन गए थे और रात में ही घर लौट आए थे, और यह कहना गलत है कि पुलिस ने घटना की तारीख पर शिकायतकर्ता को हिरासत में रखा था। उसने कहा है कि घटना की तारीख को ही साक्षियों के बयान दर्ज किए गए थे और इसके बाद पुलिस ने घटना के बारे में पूछताछ के लिए कभी नहीं आया और न ही वह घटनास्थल पर गया। उसने इंकार किया है कि शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल अपीलकर्ता से टकराई गई थी या उनके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बीच किसी कारण से कोई विवाद था और इसी कारण शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

करम सई (अ.सा. 4) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना की तारीख पर शिकायतकर्ता मुर्गा और शराब लेने गया था, और जब वह घर लौटा, तो उसने बताया कि जब वह शराब और मुर्गा लेने के बाद आ रहा था, तो अपीलकर्ता उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया था और तेलगाव के पास इसकी चाबी निकाल ली थी। साक्षी के और इस साक्षी के अनुसार जब शिकायतकर्ता अपने घर आया, तो गाँव तेलगाव का एक लड़का उसके साथ था। हालाँकि, उसने शिकायतकर्ता की उपस्थिति में किसी भी जब्ती से इंकार नहीं किया है । उसने कहा है कि मोटरसाइकिल को पुलिस द्वारा उसकी उपस्थिति में जब्त नहीं किया गया था। उसने प्रदर्श पी-1, पी-4 और पी-5 के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया और इस स्तर पर इस अ.सा. को पक्षद्रोही किया गया। प्रति-परीक्षा में उसने कहा है कि वह यह नहीं बता सकता कि घटना के बाद उसके बेटे को कौन घर छोड़ गया था, लेकिन फिर उसने कहा है कि किसी ने शिकायतकर्ता को घर मोटरसाइकिल पर छोड़ा था। उसके अनुसार, जब शिकायतकर्ता अपने घर पहुँचा, तो उसका दामाद भी वहाँ था, लेकिन शिकायतकर्ता ने अपनी आंटी या चचेरे भाई (आंटी के बेटे) को घटना के बारे में सूचित नहीं किया था, और शिकायतकर्ता घर पहुँचने के तुरंत बाद रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पी.पी गुप्ता (अ.सा. 3) अन्वेषण अधिकारी है जिन्होंने अभियोजन के मामले का पूरी तरह समर्थन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में 20 घंटे की एक असमान्य देरी हुई है, जिसे अभियोजन द्वारा ठीक से समझाया नहीं गया है। इसके अलावा, अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य में, उसके द्वारा दर्ज रिपोर्ट में और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए उसके बयान में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ और

लोप हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, वह शराब भट्टी पर शराब खरीदने के लिए गया था और वापस आते समय, अभियुक्त/अपीलकर्ता उसकी मोटरसाइकिल पर उसके पीछे बैठ गया था और उसे तेलगाव पर उतारने के लिए कहा था, और जैसे ही वे एक तालाब के पास पहुँचे, उसने अपने गले पर चाकू लगाया, उसे मोटरसाइकिल रोकने के लिए बाध्य किया और फिर उसकी जेब से जबरदस्ती धनराशि निकाली और अपनी मोटरसाइकिल के साथ फरार हो गया। जबकि उसके न्यायालय के कथन के अनुसार जब वह शराब खरीदने के बाद लौट रहा था, तो अभियुक्त/अपीलकर्ता उसके पास आया और उसकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया और उसके गले पर चाकू लगाकर उसे कहा कि उसे अपनी पसंद की जगह पर ले जाए, और गाँव तेलगाव में एक इमली के पेड़ के पास वह मोटरसाइकिल से कूद गया, अपनी आंटी के घर चला गया, और पूरी घटना का खुलासा अपने चचेरे भाई (आंटी के बेटे) को किया, जिसने अपने अनुरोध पर उसे घर छोड़ा, जहाँ उसने अपने पिता और भाई को घटना के बारे में सूचित किया। शिकायतकर्ता के पिता (अ.सा. 4) के अनुसार भी जब शिकायतकर्ता अपने घर आया, तो गाँव तेलगाव का एक लड़का उसके साथ था, और वह ही था जिसने घटना के बाद उसे घर छोड़ा था। आगे, शिकायतकर्ता के अनुसार घटना के तुरंत बाद वह अपने घर लौटा और फिर रिपोर्ट तुरंत दर्ज की गई थी, लेकिन अभिलेख से प्रतीत होता है कि रिपोर्ट घटना के 20 घंटे बाद दर्ज की गई थी। यद्यपि रिपोर्ट दर्ज करने में देरी प्रत्येक और हर मामले में घातक नहीं है, तब भी इसे हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विचार करना होता है। थुलिया काली बनाम तमिलनाडु राज्य (1972) 3 एससीसी 393 के मामले में, भारत के शीर्ष न्यायालय ने निम्नांकित अवधारणा प्रस्तुत की है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "दांडिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है, जो विचारण में प्रस्तुत किए गए मौखिक साक्ष्य को पुष्ट करने के लिए है। अभियुक्त के दृष्टिकोण से कहे गए रिपोर्ट के महत्व को कम आँका नहीं जा सकता। किसी अपराध की

रिपोर्ट पुलिस को शीघ्र दर्ज करने पर आग्रह करने का उद्देश्य अपराध किए गए परिस्थितियों, वास्तविक अपराधियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ-साथ घटनास्थल पर मौजूद नेत्र साक्षियों के नाम के बारे में शीघ्र सूचना प्राप्त करना है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी अक्सर सजावट का परिणाम होती है, जो एक अनुगामी विचार की फलस्वरूप होती है। देरी के कारण, रिपोर्ट न केवल तत्कालीनता के लाभ से वंचित होती है, बल्कि रंगीन संस्करण, अतिशयोक्तिपूर्ण खाता या विचार-विमर्श और परामर्श के परिणामस्वरूप गढ़ी गई कहानी के संचार का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को संतोषजनक ढंग से समझाया जाए।"

इस संदर्भ में, मैं मेहराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994) 5 एससीसी 198 के मामले में दिए गए निर्णय से लाभ लेता हूँ, जिसमें निम्नांकित अवधारणा की गई है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"दांडिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट, विशेषतः हत्या के मामले में, विचारण में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की विवेचन के लिए एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को तुरंत दर्ज करने पर आग्रह करने का उद्देश्य अपराध किए गए परिस्थितियों के बारे में सबसे पहली सूचना, वास्तविक अपराधियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका, उपयोग किए गए हथियार, यदि कोई हो, और घटनास्थल पर मौजूद चक्षुदर्शी के नाम के बारे में सूचना प्राप्त करना है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी अक्सर सजावट का परिणाम होती है, जो अनुगामी विचार की होती है। देरी के कारण, प्रथम सूचना रिपोर्ट न केवल तत्कालीनता के लाभ से वंचित हो जाती है, बल्कि रंगीन संस्करण या अतिशयोक्तिपूर्ण कहानी के संचार का खतरा भी बढ़ता है।"

9. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन के अपने ही मामले के अनुसार, घटना 28.9.2007 को लगभग 8.00 बजे रात को हुई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी/1 को शिकायतकर्ता द्वारा 29.9.2007 को लगभग 4.30 बजे अपराह्न में दर्ज किया गया था। अभियोजन के अपने ही मामले के अनुसार, पुलिस स्टेशन की घटनास्थल से दूरी लगभग एक फर्लांग थी, लेकिन फिर भी रिपोर्ट तुरंत दर्ज नहीं की गई। आगे, शिकायतकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि शराब भट्टी के पश्चिम की ओर पुलिस चौकी भठगाँव है, जिसके बगल में भारतीय स्टेट बैंक और एस. ई . सी. एल. का क्षेत्रीय कार्यालय हैं। शिकायतकर्ता ने आगे स्वीकार किया है कि एस. ई . सी. एल. के क्षेत्रीय कार्यालय के ठीक पास एस. ई . सी. एल. के कर्मचारियों के क्वार्टर भी हैं, और शराब भट्टी के करीब बहुत सारी मिट्टी की झोपड़ियाँ भी स्थित हैं, जिनमें से कुछ एस. ई . सी. एल. के कर्मचारियों द्वारा और कुछ अन्यों द्वारा कब्जा की गई हैं। इन सभी तथ्यों के बावजूद, शिकायतकर्ता लगभग 20 घंटों तक चुप रहा, जिससे इस न्यायालय के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि घटना वास्तव में घटी भी थी या नहीं। शिकायतकर्ता के अपने अनुसार, वह अपनी मोटरसाइकिल बाजार और शहर की मुख्य सड़क से भी चलाया था, जहाँ भीड़ बहुत थी, लेकिन फिर भी शिकायतकर्ता ने न तो अपनी पुकार सुनाई, और न ही अभियुक्त/अपीलकर्ता के नियंत्रण से बाहर आने का कोई प्रयास किया। इसके अलावा, अभियुक्त/अपीलकर्ता का बचाव भी असंभव नहीं दिखता है कि शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल अभियुक्त/अपीलकर्ता से टकराई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच कोई विवाद हुआ था, जो बाद में अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करने का कारण बन गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अभिलेख से प्रमाणित है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता से धनराशि या शराब की कोई भी वसूली नहीं की गई। कमल प्रसाद (अ.सा. 2) - शिकायतकर्ता के भाई ने भी मोटरसाइकिल की जब्ती के साक्षी के रूप में प्रदर्श पी-4 का उल्लेख किया है, जिन्होंने कहा है कि घटना के बाद पहली बार वह

प्रश्नाधीन मोटरसाइकिल को पुलिस स्टेशन में देखा था, और उसे यह नहीं पता था कि क्या इसे अपीलकर्ता के घर से जब्त किया गया था। इस साक्षी के अनुसार, पुलिस ने उससे जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी-4 में हस्ताक्षर प्राप्त किए थे। उसने आगे स्पष्ट किया है कि उसकी उपस्थिति में पुलिस द्वारा कोई मोटरसाइकिल जब्त नहीं की गई थी, और यह उसके भाई की उपस्थिति में जब्त की गई थी। इस मामले की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अपीलकर्ता पहले से ही साढ़े तीन वर्षों से अधिक समय के लिए जेल में रहा है।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित राय है की अभियोजन ने पूरी तरह से अपने मामले को युक्तिसंगत संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। साक्षियों का साक्ष्य एक-दूसरे के लिए विरोधाभासी है, जो इस न्यायालय के पूर्ण विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। यदि ऐसा है, तो संदेह का लाभ अभियुक्त/अपीलकर्ता को दिया जाना चाहिए। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में लगभग 20 घंटे की देरी हुई है, जिसे अभियोजन द्वारा संतोषजनक ढंग से समझाया नहीं गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. तदनुसार, अपील को स्वीकार किया जाता है। आक्षेपित निर्णय को एतद्वारा अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। चूँकि वह जेल में है, इसलिए उसे तुरंत रिहा किया जाए, यदि उसका किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो।

सही/-

प्रितिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By **Shaantam Patil**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur